UPLK010071302026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०-821/2026

अल्फेज **बनाम** उ०प्र० राज्य

दिनांक-16.06.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) उपस्थित।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायालय ए.सी.जे.एम., उत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा दिनांक 10.04.2026 को जमानत प्रदान की गयी तथा उसे मु० 30,000/-रु० का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। अभियुक्त अत्यन्त गरीब परिवार से सम्बंध रखता है तथा उसकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है तथा जेल में बंद रहने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है। उसके पिता का देहान्त हो चुका है, जिस कारण वह प्रतिभू दाखिल करने में असमर्थ है। अभियुक्त दिनांक 07.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः अभियुक्त द्वारा 20,000/-रु० के बंधपत्र दाखिल करने का आदेश पारित करने की याचना की गयी।

3. पत्रावली पर अभियुक्त की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के सम्बंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या दिनांकित 15.06.2026 संलग्न है, जिसके अनुसार अभियुक्त के परिवार की पृष्ठभूमि खराब है तथा आर्थिक स्थिति अति कमजोर है।

4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मु०अ०सं०-03/2026 अन्तर्गत धारा 3 आर.पी.यू.पी. ऐक्ट, थाना-आर.पी.एफ., लखनऊ में अभियुक्त **अलफेज** का जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 10.04.2026 को स्वीकार करते हुये अभियुक्त द्वारा 30,000/-रु० का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रतिभू का प्रबंध न कर पाने के कारण अभियुक्त जमानत स्वीकार होने के बावजूद जिला कारागार में निरूद्ध है। पत्रावली पर अभियुक्त की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के सम्बंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखनऊ द्वारा अग्रसारित आख्या संलग्न है, जिसमें अभियुक्त की आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर होना उल्लिखित है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जमानत स्वीकृत हो जाने के पश्चात केवल प्रक्रियात्मक कारणों से अभियुक्त को निरंतर कारावास में रखा जाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के विपरीत है तथा ऐसे मामलों में न्यायालय को जमानत की शर्तों पर पुनर्विचार करते हुए उपयुक्त ढील प्रदान करने का अधिकार है, विशेषकर जब अभियुक्त आर्थिक अथवा सामाजिक कारणों से जमानत शर्तों का तत्काल पालन करने में असमर्थ हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **SMWP**

(Criminal) No. 04/2021 2023 SCC OnLine SC 483 In Re Policy Strategy for Grant of Bail में पारित दिशा-निर्देशों में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि-

*** *** *** ***

5) In cases where the undertrial or convict requests that he can furnish bail bond or sureties once released, then in an appropriate case, the Court may consider granting temporary bail for a specified period to the accused so that he can furnish bail bond or sureties.

*** *** *** ***

7. प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अभियुक्त को जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा मात्र अभियुक्त की खराब आर्थिक स्थितिवश उसकी जमानत प्रस्तुत करने की असमर्थता के कारण वह जिला कारागार में निरूद्ध है। दौरान बहस अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त रिहाई के उपरान्त एक माह की अवधि में आवश्यक जमानतदार प्रस्तुत कर देगा। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को सीमित अवधि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थनापत्र निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त द्वारा **30,000/-रु०** का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर **3 माह** की अवधि के लिए अस्थायी रूप से जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त अवधि के भीतर पूर्व जमानत आदेश दिनांकित 10.04.2026 में आदेशित 30,000/-रु० के **दो प्रतिभू** के स्थान पर 30,000/-रु० का **एक प्रतिभू** प्रस्तुत करे। निर्धारित अवधि में प्रतिभू प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध विधि-अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। तदनुसार यह प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है।

(मलखान सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.06.19 11:22:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court